102
(47)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062023-246858
CG-DL-E-28062023-246858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2023/आषाढ़ 7, 1945
No. 372] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023/ASHADHA 7, 1945

गृह मंत्रालय
(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

सा.का.नि. 461(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग'पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग', अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

लागू होना.- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.-- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

10|

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -I)	38* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवाएं,समूह-'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नही ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
1. प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**4 (25500-81100** रु) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-**II**) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। **2.** प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे पदधारी -	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - (1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष। (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(3) गृह मंत्रालय के स्वापक यंत्रण ब्यूरो से भिन्न किसी भी विभाग से अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी - सदस्य।	

1	2	3	4	5	6
2.स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	33*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर -4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

11	12	13
1. प्रोन्नति: ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी(साधारण श्रेणी) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रु.) में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। **2. प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे पदधारी: - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों; या	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष। (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य। (3) गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से भिन्न किसी भी अन्य विभाग से अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

99

(ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

1	2	3	4	5	6
3.स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	33* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष* (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु सीमा आधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह में रहने वालों के लिए विहित की गई है।) *यदि 'सीधी भर्ती' 'सीधी खुली प्रतियोगिता' द्वारा की जाए तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।

7	8	9	10
1. आवश्यक: (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होना; (ii) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में समर्थ होना चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. वांछनीय: (i) होम गार्ड या नागरिक स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण**: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों या पुनः नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनः नियोजन।

11	12	13
1. प्रतिनियुक्ति या आमेलन: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रु.) में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले ऐसे पदधारियों या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में यथाउल्लिखित आवश्यक अहर्ताएं पूर्ण करते हों। 2. सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुन: नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी: (1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष। (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य। (3) गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से भिन्न किसी भी अन्य विभाग से अवर सचिव के स्तर के एक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

97

व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण** 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है। साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. I-12014/50/2017-एनसीबी-II]

सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव